कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन,जनपथ मार्केट, लखनऊ–226001

संख्या: 953 /सीईओ–2–02/2–2014 लखनऊ दिनांक: 27दिसम्बर, 2021

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2022 रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 10बी के अन्तर्गत एकही प्रतीक (Common symbol) आवंटित करने के सम्बन्ध में आयोग के निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–56/Symbol/2021/PPS-II /VOL.XXII दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2022 हेतु 17 रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 10बी के अन्तर्गत एकही प्रतीक (Common Symbol) आवंटित करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये है। आयोग द्वारा उक्त 17 राजनैतिक दलों में से 10 राजनैतिक दलों को उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त (403) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तथा 01 राजनैतिक दल (Bharatiya Rashtriya Morcha) को उत्तर प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में एनेक्जर–1 में दिये गये संख्या एवं निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक समान प्रतीक (Common symbol) आवंटित किये गये है। इस प्रकार आयोग ने प्रदेश में अब तक 48 राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को एक समान प्रतीक देने के निर्देश दिये हैं।

3– आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि However, the said symbol shall be available for allotment as free symbol to other candidates in the constituencies where the aforesaid party does not actually set up its candidates.

कृपया आयोग के संलग्न निर्देशों को रिटर्निंग आफिसर सहायक रिटर्निंग आफिसर्स एवं सभी संबंधित के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अवनीश सक्सेना)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:953(1)/सीईओ–2 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– प्रभारी कम्प्यूटर कक्ष, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अवनीश सक्सेना)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

"F:\document\Election\jyoti mam.docx"